राजा राजा चोल (985 ई.पू. – 1014 ई.पू.)

तमिलनाडु के तंजावुर में सधाया विझा के दौरान प्रसिद्ध चोल सम्राट राजा राजा चोल की जयंती मनाई जाती है।

• सधाया विझा उत्सव तमिल महीने अप्पासी में मनाया जाता है, जो अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य तक बृहदेश्वर मंदिर में मनाया जाता है।

राजा राजा चोल (985 ई.पू. – 1014 ई.पू.) के बारे में

• अरुमोलीवर्मन के शासनकाल के दौरान चोल शक्ति अपने चरम पर थी, जिसने राजराजा प्रथम की उपाधि धारण की थी।

• राजराजा ने कंदलुरसलाई के नौसैनिक युद्ध में चेर शासक भास्कररावर्मन को हराया।

• उन्होंने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया (इसके उत्तरी भाग पर कब्ज़ा किया) और मालदीव पर विजय प्राप्त की।

• उन्होंने 1010 ई. में तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर/बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा किया

विश्व बैंक समूह द्वारा जारी 'हमारा भविष्य चुनना: जलवायु कार्रवाई के लिए शिक्षा' रिपोर्ट

रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित गर्मी और चरम मौसम की घटनाएँ सीखने को काफी हद तक बाधित कर रही हैं और इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षा प्रणाली जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए युवाओं को सशक्त, सुसज्जित और कुशल बना सकती है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

स्कूली शिक्षा और सीखने पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: जलवायु से संबंधित स्कूल बंद होने के कारण प्रभावित स्कूलों में प्रति वर्ष औसतन 11 दिन की शिक्षा का नुकसान हुआ, कम आय वाले देशों में इसका प्रभाव अधिक रहा।

• जलवायु जागरूकता पर सूचना का अंतर: जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता अभी भी कम और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 65% है।

• कौशल/पुनः कौशल/अप-स्किलिंग की आवश्यकता: वैश्विक हरित परिवर्तनों के लिए अनुमानित 100 मिलियन नई नौकरियों के लिए कुशल श्रमिकों, अधिकांश मौजूदा नौकरियों के लिए अप-स्किल श्रमिकों और अन्य 78 मिलियन नौकरियों के लिए पुनः कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी जो समाप्त हो जाएंगी।

• शिक्षा आज जलवायु कार्रवाई में मदद कर सकती है: भारत में, बच्चों तक जलवायु-संबंधी पहुँच ने न केवल उनके जलवायु-समर्थक व्यवहार को बढ़ाया है, बल्कि माता-पिता के जलवायु-समर्थक व्यवहार को भी लगभग 13% तक बढ़ाया है।

सरकार के लिए सिफारिशें

• आधारभूत कौशल और STEM शिक्षा में निवेश करके, अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई जलवायु शिक्षा प्रदान करके जलवायु-समर्थक व्यवहार-परिवर्तन के लिए स्कूली शिक्षा का उपयोग करें।

• मजबूत नींव, लचीले रास्ते और सूचना प्रवाह के माध्यम से छात्रों की अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देकर हरित कौशल और नवाचार के लिए तृतीयक शिक्षा का उपयोग करें।

• शिक्षा प्रणालियों को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूलनीय और लचीला बनाकर उनकी रक्षा करें।

औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और क्लाइमेट क्लब ने COP29 में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के लिए 'ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म' (GMP) लॉन्च किया।

• UNIDO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, गतिशील बनाना और गति प्रदान करना है।

• क्लाइमेट क्लब जलवायु कार्रवाई और उद्योग डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए आदान-प्रदान के लिए एक अंतर-सरकारी मंच है।

GMP के बारे में

• उद्देश्य: विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु के अनुकूल औद्योगिक विकास में तेजी लाने में सक्षम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा देना।

• सचिवालय: GMP क्लाइमेट क्लब का एक सहायक तंत्र है, जिसका सचिवालय UNIDO द्वारा संचालित है।

• यह कैसे काम करता है?

o यह ऊर्जा और उत्सर्जन-गहन औद्योगिक क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने के लिए देश-विशिष्ट जरूरतों को वैश्विक तकनीकी और वित्तीय सहायता से जोड़ता है।

o यह सभी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुलभ है।

औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन क्या है?

• परिभाषा: यह ऊर्जा-कुशल और टिकाऊ परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है जो उद्योगों के समग्र कार्बन पदचिह्न को कम करती है।

• मुख्य रणनीतियाँ: कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियाँ, नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अंतिम उपयोग ऊर्जा को डीकार्बोनाइज़ करना, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण आदि।

• आवश्यकता: 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करना महत्वपूर्ण है।

o अकेले औद्योगिक गतिविधियाँ वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों के CO2 उत्सर्जन के एक चौथाई के लिए जिम्मेदार हैं।

शुरू की गई पहल

वैश्विक

• औद्योगिक गहन डीकार्बोनाइजेशन पहल (2021): यूके और भारत के सह-नेतृत्व में, यह कम कार्बन औद्योगिक सामग्रियों की वैश्विक मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों का वैश्विक गठबंधन है।

• उद्योग डीकार्बोनाइजेशन के लिए गठबंधन: अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा समन्वित, इसका उद्देश्य औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं को डीकार्बोनाइज़ करना है।

भारत

• प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना: उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता ऋण व्यापार योजना।

• इस्पात मंत्रालय अक्षय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए काम कर रहा है।

UNHCR ने 2025 में वैश्विक शरणार्थी संकट को संबोधित करने के लिए वैश्विक अपील 2025 शुरू की

UNHCR ने 2025 के लिए 10 बिलियन डॉलर की अपील शुरू की है, ताकि दुनिया भर में लाखों शरणार्थियों, विस्थापित व्यक्तियों और राज्यविहीन लोगों के लिए महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और स्थायी समाधान लागू किए जा सकें।

• यह 2025 के लिए UNHCR की योजनाओं और शरणार्थियों की सुरक्षा, सहायता और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक धन पर प्रकाश डालता है, और उन्हें उनकी स्थितियों का समाधान खोजने में मदद करता है।

वैश्विक शरणार्थी संकट

• शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे संघर्ष/उत्पीड़न से भागने के लिए मजबूर किया गया है और सुरक्षा की तलाश में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करनी पड़ी है।

o दुनिया भर में 117.3 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हुए हैं

और 40% बच्चे हैं (यूएनएचसीआर की वैश्विक रुझान रिपोर्ट 2023)।

• कारण: संघर्ष और हिंसा (जैसे सीरिया), उत्पीड़न (जैसे म्यांमार), जलवायु परिवर्तन प्रभाव आदि।

चुनौतियाँ

• शरणार्थी: भोजन, आश्रय आदि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव; मुख्यधारा के समाज से भेदभाव और बहिष्कार; तस्करी आदि के प्रति संवेदनशील।

• मेजबान देश: जनसंख्या में अचानक वृद्धि; स्वास्थ्य सेवा जैसे स्थानीय संसाधनों पर दबाव; बेरोज़गारी और सामाजिक तनाव, आदि।

शुरू की गई पहल

• शरणार्थियों पर वैश्विक समझौता (2018): शरणार्थियों और उनके मेजबान देशों आदि की मदद करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।

• वैश्विक शरणार्थी मंच: शरणार्थियों और उनके मेजबान समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और उनका समाधान खोजने के लिए हर 4 साल में आयोजित किया जाता है।

• संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी: फिलिस्तीन शरणार्थियों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1949 में स्थापित।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR) • मुख्यालय: जिनेवा, स्विटजरलैंड • उत्पत्ति: 1950 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्थापित। • उद्देश्य: संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करना। • UNHCR 136 देशों में काम करता है। • उपलब्धि: इसे 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। COP29 ने जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) अपनाया NCQG ने देशों को जलवायु आपदाओं के खिलाफ अपने लोगों और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने और स्वच्छ ऊर्जा उछाल के विशाल लाभों में साझा करने में मदद करने के लिए एक नया वित्त लक्ष्य निर्धारित किया। • NCQG पेरिस समझौते का एक प्रमुख तत्व है, जिसे 2025 के बाद अपने जलवायु कार्यों में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए एक नया वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनसीक्यूजी द्वारा निर्धारित जलवायु वित्त लक्ष्य

• बाकू वित्त लक्ष्य: 2035 तक विकासशील देशों को 1.3 ट्रिलियन डॉलर का जलवायु वित्त प्रदान करने का नया वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

• विकासशील देशों को ट्रिपल फाइनेंस: इसने विकसित देशों के लिए 2035 तक विकासशील देशों के लिए कम से कम 300 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

o 2009 में यूएनएफसीसीसी के दलों ने 2020 तक सालाना 100 बिलियन डॉलर जुटाने का फैसला किया था जिसे बाद में 2025 तक बढ़ा दिया गया था।

भारत का रुख

• भारत ने सीओपी29 सम्मेलन के दौरान जलवायु वित्त के लिए एनसीक्यूजी को निम्नलिखित आधारों पर खारिज कर दिया है।

o अपर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धता: भारत ने 2035 तक सालाना 300 बिलियन डॉलर जुटाने के प्रस्तावित लक्ष्य की आलोचना करते हुए कहा कि यह "बहुत कम और बहुत दूर की बात है।" o निर्णय लेने में समावेशिता की कमी और इस प्रकार यह वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है। • भारत की अस्वीकृति नाइजीरिया और मलावी सहित अन्य विकासशील देशों में भी गूंजी। UNFCCC के COP29 का समापन बाकू जलवायु एकता संधि के साथ हुआ इस संधि में जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG), अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य और शर्म अल-शेख शमन महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन कार्य कार्यक्रम शामिल हैं। संधि की मुख्य विशेषताएं जलवायु वित्त पर NCQG: देशों को जलवायु आपदाओं के खिलाफ अपने लोगों और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने और स्वच्छ ऊर्जा उछाल के विशाल लाभों में साझा करने में मदद करने के लिए एक नया वित्त लक्ष्य प्रदान करता है। अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य o बाकू अनुकूलन रोडमैप: अनुकूलन के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7 के अनुरूप कार्रवाई।

अनुच्छेद 7, पैराग्राफ 1: सतत विकास में योगदान देने के उद्देश्य से अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य स्थापित करना।

o वृद्धिशील और परिवर्तनकारी अनुकूलन दृष्टिकोणों को मान्यता देता है: लोगों की भलाई की रक्षा के लिए, और वैश्विक जलवायु लचीलापन के लिए यूएई फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए।

• शर्म अल-शेख शमन महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन कार्य कार्यक्रम

o कोई 'एक आकार सभी के लिए फिट नहीं है' दृष्टिकोण: राष्ट्रीय और स्थानीय परिस्थितियों की विविधता के कारण।

o सहयोग: शमन कार्यों पर शहरों, उप-राष्ट्रीय प्राधिकरणों, स्थानीय समुदायों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच।

o डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के निर्माण के लिए चर्चा: शमन कार्यों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए।

UNGA ने मानवता के विरुद्ध अपराधों पर संधि की बातचीत का मार्ग प्रशस्त करने वाला प्रस्ताव अपनाया

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की छठी समिति ने 'मानवता के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और दंड पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' को मंजूरी दी।

• यूएनजीए की छठी समिति महासभा में कानूनी प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्राथमिक मंच है।

मानवता के विरुद्ध अपराध को हत्या, बलात्कार, यातना, रंगभेद, निर्वासन और उत्पीड़न सहित विशिष्ट आपराधिक कृत्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जब किसी राज्य या संगठनात्मक नीति के अनुसार किसी नागरिक आबादी के खिलाफ व्यापक या व्यवस्थित हमले के हिस्से के रूप में प्रतिबद्ध किया जाता है। (रोम संविधि)

मानवता के विरुद्ध अपराधों पर संधि की आवश्यकता

समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संधि का अभाव: मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (जिनेवा कन्वेंशन जैसे युद्ध के कानून) गैर-सशस्त्र संघर्ष स्थितियों में किए जा सकने वाले संभावित अपराधों को पर्याप्त रूप से प्रतिबंधित नहीं करते हैं।

देशों के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना: यह मानवता के विरुद्ध अपराधों के पीड़ितों के लिए नए रास्ते प्रदान करेगा और देशों को इन अपराधों को अपने कानूनों में शामिल करने के लिए ढांचा प्रदान करेगा।

उनकी राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियाँ।

• वैश्विक सहयोग: यह अन्य राज्यों के साथ सहयोग को भी बढ़ावा देगा, उदाहरण के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से।

मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए मौजूदा तंत्र

• अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून

o 4 जिनेवा कन्वेंशन (1949),

o जैविक हथियार कन्वेंशन (1972),

o रासायनिक हथियार कन्वेंशन (1993),

o अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए रोम संविधि (1998), आदि।

• भारत में रूपरेखा: अनुच्छेद 51 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों आदि के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।